

पानी-बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया

जिला कलेक्टर को लोगों ने ज्ञापन सौंप समस्या समाधान कराने की मांग की

गंगापुर सिटी, (निस)। जैसे-जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बिजली व पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। उसी का कारण है कि जिला मुख्यालय करीबी फाटक के आसपास की कॉलोनिंग और मोहल्लों में इन दिनों लोगों को कम वोल्टेज की बिजली आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते लोगों को पेयजल समस्या भी झेलनी पड़ रही है।

इस संबंध में शुक्रवार को कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर करीबी फाटक रामचंद्र नगर और आबकारी पुलिस थाने के आसपास कॉलोनीवासी वार्डपंच पूजा मीणा, प्रकाशी गुर्जर, गुड्डाई, राजकुमारी, रिकेश, आशा, शकुन्तला, शांदा, सोनू, बृजेश कुमारी, कृष्णा शर्मा, हेमराज, भूरसिंह गुर्जर, मनोज शर्मा, साहबसिंह, केशवसिंह, सत्यनारायण आदि ने बताया कि करीबी फाटक रामचंद्र नगर और



लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पानी-बिजली के समस्या समाधान की मांग की।

आबकारी पुलिस थाना के पास केवल एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह भी 100 केवी का है। इस कम क्षमता के ट्रांसफार्मर पर 500 से अधिक बिजली के कनेक्शन हैं। इसके कारण ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक रहता है। कम क्षमता के इस ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक होने के कारण बार-बार तार

जल जाते हैं। साथ ही वोल्टेज भी 70-80 ही आते हैं, जिसके कारण ना तो कूलर चल पाते हैं और ना ही पंखे चल पाते हैं। यह स्थिति करीब 15 दिन से है, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में कई परिवार के सदस्य बीमार पड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि बिजली के

आने का पता है और न जाने का, कभी-कभी तो पूरी रात बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को बैठे-बैठे ही निकलनी पड़ती है। कॉलोनी में लगभग 80 प्रतिशत मजदूर हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पूर्व में कनिष्ठ और सहायक अभियंता ही नहीं बल्कि अधिशासी

■ **शीघ्र समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी**

अभियंता तक को शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाइनमैन पर अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाइनमैन के कहने से ही पूर्व में सहायक अभियंता ने इसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर दिया, लेकिन बाद में उसे निरस्त करा दिया।

इसके अलावा कॉलोनी में पानी की भी विकट समस्या है, यहां न तो नलों से आपूर्ति हो रही है और न ही प्रशासन के द्वारा टैंकों से सप्लाई। ऐसे में इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है उन्होंने कलेक्टर से पानी और बिजली की समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया तो मजबूर होकर लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

युवक ने आत्महत्या की

भीलवाड़ा, (निस)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से गुजर रहे भीलवाड़ा-चित्तौड़ रेल मार्ग पर दो दिन पूर्व संगम हाउस के सामने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों ने ब्याज माफियाओं की धमकियों से परेशान होकर यह कदम उठाने की शिकायत की है। कोतवाल राजपाल सिंह का कहना था कि हिवेया (27) पिता धर्मेन्द्र रोचानी निवासी सोनी हॉस्पिटल के निकट ने दो दिन पूर्व संगम हाउस के सामने रेलवे ट्रेक पर जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव को एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। शुक्रवार को मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक फल फ्रूट का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। अंकित, जशू और कमल सिंधी को कि ब्याज माफिया है इनके द्वारा उसे धमकियां दी जा रही थी जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया है।

ट्रक में आग लगी, 50 लाख का नुकसान

निवाई, (निस)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बरथल तिराहे पर शुक्रवार की दोपहर दो ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई। इस दौरान दूसरे ट्रक को तो आग को बुझाकर बचा लिया व एक ट्रक करीब 50 लाख रुपए की लागत के प्लास्टिक केमिकल के दाने सहित जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर निवाई एवं टोंक की 4 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर करीब 7 राउंड से आग पर काबू पाया। ट्रक में आग लगने से ट्रक में घनी लपटें एवं आसमान में काले धुएँ के गुब्बारे दूर-दूर तक नजर आए, जिनको देखकर आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों राहगीर एवं ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

ट्रक चालक मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वह मुंबई से ट्रक में प्लास्टिक केमिकल के दाने भरकर दिल्ली जा रहा था। इस दौरान टोंक से जयपुर की ओर जाते समय बरथल तिराहे पर स्थित जगदंबा भोजनालय में चालक व परिचालक ट्रक को खड़ा करके खाना



राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बरथल तिराहे पर ट्रक में आग लग गई।

खाने के लिए गए थे। इस दौरान ट्रक की केबिन में शॉर्टसर्किट होने से अचानक केबिन में आग लग गई। उनको ट्रक की केबिन में आग की तेज लपटें दिखाई देने लगीं। जिस पर उन्होंने दौड़कर आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग तेज गति से भभकने लग गई और ट्रक में रखे प्लास्टिक केमिकल में भी आग लग गई।

ट्रक की आग की तेज लपटों से पास में खड़े दूसरे ट्रक में भी आग लग गई। जिसको बुझाना मुश्किल हो गया। उन्होंने ट्रकों में आग लगने की सूचना निवाई एवं बरौनी पुलिस को दी। सूचना पर निवाई एवं टोंक से चार दमकले मौके पर पहुंची और करीब सात राउंड में डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने तक

ट्रक एवं उसमें रखे हुए प्लास्टिक केमिकल के दाने के कट्टे जलकर राख हो चुके थे। इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ट्रक में आग की लपटें तेज होने से पास में खड़े ट्रक में भी आग लग गई लेकिन उसको कुछ देर में ही सूखबूझ से आग को बुझा दिया जिससे दूसरे ट्रक में कोई नुकसान नहीं हुआ।

दो विवाहिताओं की संदिग्ध हालत में मौत

दोनों के पीहर पक्षों ने देहेज की खातिर हत्या का मामला दर्ज कराया

धौलपुर, (निस)। मनियां थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो अलग-अलग जगह दो विवाहिताओं की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। दोनों विवाहिताओं की मौत के मामले में पीहर पक्षों ने देहेज की खातिर हत्या का मामला दर्ज कराया है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मृतक विवाहिताओं के पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं।

पहला मामला मनियां थाना क्षेत्र के जसपुर गांव का है, जहां मृतक महिला ज्योति के भाई अजय ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपनी बहन ज्योति की शादी 2 मार्च 2024 को जसपुर गांव के विवेक ठाकुर के साथ की थी। जिसके बाद से ही उसकी

बहन का पति और ससुराल पक्ष के लोग 5 लाख रुपए के देहेज की मांग करते हुए उसकी बहन ज्योति की मारपीट करते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुरुवार की रात को उसकी बहन ने घर पर फोन कर मारपीट करने की जानकारी दी थी। जिसके बाद शुक्रवार को गांव के ही किसी युवक ने उसे फोन कर बहन ज्योति की मौत की सूचना दी। पीड़ित युवक ने रिपोर्ट में विवाहिता के ससुराल पक्ष पर देहेज की खातिर हत्या का मामला दर्ज कराया है।

वहीं दूसरा देहेज हत्या का मामला परीआ गांव के रहने वाले विश्राम सिंह कुशावाहा द्वारा दर्ज कराया गया है। जिसमें बताया गया है कि उसकी बेटी खुशबू की शादी एक वर्ष पूर्व मनियां

थाना क्षेत्र में ललित कुशावाहा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का पति और ससुराल पक्ष के लोग 5 लाख रुपए के देहेज की मांग करते हुए उसकी बेटी के साथ मारपीट कर रहे थे। बेटी की मारपीट को देखकर पीड़ित ने अपने छोटे बेटे को उसकी ससुराल भेज दिया। जहां से आरोपी उसके बेटे को बहला-फुसलाकर घर के बाहर ले गए। जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी खुशबू की हत्या कर दी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने पीहर पक्ष की शिकायत पर देहेज की खातिर हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विवाहिताओं का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है।

सांप के काटने से बालिका की मौत

आसीन्द, (निस)। आसींद थाना अंतर्गत लाहुड़ा गांव में सांप के काटने से बालिका की मौत हो गई। आसींद थाना अंतर्गत लाहुड़ा निवासी चतुराव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुत्री किरण राव (17) वर्ष शुक्रवार सुबह सात बजे खेत पर अपने काका कन्हैया लाल राव के साथ काम करते समय सांप के काटने से घायल हो गई। उसे तुरंत काका को चिल्लाने पर पता चला तो काका ने जाकर देखा तो सांप जाते हुए दिखाई दिया जिसको लकड़ी की सहायता से सांप को मौके पर ही मार दिया एवं पिता चतुराव को सूचना दी। वह निजी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और घायल किरण राव पुत्री को लेकर आसींद समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां पर डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। कन्यालाल राव ने बताया कि भाई के चार पुत्रियां एवं एक पुत्र है जिसमें से यह तीसरे नंबर की पुत्री किरण राव है जो कक्षा 10 में पढ़ाई करती थी।

किसान को लोक परिवहन बस ने कुचला

ग्रामीणों ने बस को आग लगाई

हनुमानगढ़, (निस)। सुरतगढ़ फोरलेन मार्ग पर गांव मक्कासर में लोक परिवहन बस ने साइकिल सवार किसान को कुचल दिया। इससे मौके पर ही किसान की मौत हो गई। बस चालक व परिचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। मगर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के हादसे के करीब पौने घंटे बाद तक मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर पहले बस की शीशे तोड़े, फिर बस को आग लगा दी। बाद में पुलिस व प्रशासन ने दमकल की मदद से आग बुझाई। मगर तब तक बस जलकर कबाड़ हो गई। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को

मुआवजा देने, मौके पर देरी से पहुंचने के कारण पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने आदि मांगों को लेकर फोरलेन मार्ग पर धरना लगाकर रोड जाम कर दिया। जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल विश्वासी ने बताया कि लोक परिवहन बस ने साइकिल सवार किसान को कुचल दिया। इससे मौके पर ही किसान की मौत हो गई। बस चालक व परिचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। मगर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के हादसे के करीब पौने घंटे बाद तक मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर पहले बस की शीशे तोड़े, फिर बस को आग लगा दी। बाद में पुलिस व प्रशासन ने दमकल की मदद से आग बुझाई। मगर तब तक बस जलकर कबाड़ हो गई। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को

खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9898

किलो घी सीज किया

रीको औद्योगिक क्षेत्र में पालीवाल संस डेयरी प्राइवेट लिमिटेड से तीन नमूने पालीवाल ब्रांड घी के लिए



धौलपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने घी सीज किया।

धौलपुर, (निस)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और सीएमएचओ डॉ. जयंती लाल मीणा के निर्देश पर धौलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में पालीवाल संस डेयरी प्राइवेट लिमिटेड से खाद्य सुरक्षा एवं

मानक अधिनियम 2006 के तहत 3 नमूने पालीवाल ब्रांड घी के लिए। साथ ही संदेह के आधार पर 9898 किलो घी भी सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि लिए गए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले पर में लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का कार्य किया जा रहा है। आमजन को शुद्ध आहार उपलब्ध हो इसके लिए विभाग प्रतिबद्ध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में प्रोविजनल कंसीडर करने के आदेश

जोधपुर, (कास)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की निष्पत्ति प्रक्रिया में प्रोविजनल कंसीडर करने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए जारी विज्ञापन में अपेक्षित चिकित्सा में डिग्री के अर्थ में बीडीएस की डिग्री भी शामिल है। राजस्थान हाइकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने डॉ. पूजा व्यास की रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं। दंत चिकित्सक की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी व विनीता ने रिट याचिका दायर कर बताया कि याची जयपुर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी से दंत चिकित्सा में स्नातक/बीडीएस डिग्री

■ **राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किए**

आयोग द्वारा सफल मेधावी याची को दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार काउंसिलिंग में शामिल किया गया। लेकिन पत्र 2 मई 2024 से आरपीएससी ने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अभाव में याची की अध्यापिका नियुक्ति रद्द कर दी। इस पर याची ने रिट याचिका दायर कर आरपीएससी के आदेश को चुनौती दी गई। याची की ओर से अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि एमबीबीएस डिग्री और बीडीएस डिग्री दोनों स्नातक

पाठ्यक्रमों में एकल नीट परीक्षा के जरिये ही प्रवेश मिलता है और दोनों ही पद्धति चिकित्सा में डिग्री की परिभाषा में आती है। डॉ. एम. दिव्या बनाम निदेशक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि दंत चिकित्सा विज्ञान में स्नातक चिकित्सा में स्नातक/ डिग्री इन मेडिसिन के अर्थ में ही समाहित है। इस बाबत हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय सरकार के चिकित्सा विभाग मंत्रालय की एएसएफ्ट कमेटी द्वारा विस्तृत जांच कर इस आशय की रिपोर्ट भी भेज कर यह माना कि दंत चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, होम्योपैथी में डिग्री, सिद्धा में डिग्री एवं अन्य मेडिसिन डिग्री को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए योग्य माना है और इन डिग्रीयों को

चिकित्सा में स्नातक डिग्री के अर्थ में सम्मिलित माना है। ऐसे में याची अधिनियम 2006 के प्रावधानों अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद हेतु नियुक्त होने योग्य है। इस संबंध में त्रिपुरा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों हेतु जारी विज्ञापन में दंत चिकित्सा स्नातक को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में सम्मिलित किया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया में याची की अध्यापिका प्रोविजनल कंसीडर करने का अंतरिम आदेश देते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार को जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 6 अगस्त 2024 को नियत की।

दूध देने से मना करने पर युवकों ने दुकानदार की हत्या की

संगरिया, (निस)। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया नगर के गांव किशनपुरा उत्तराधा में दूध नहीं देने पर गुस्साए तीन युवकों ने एक किराना दुकानदार एवं डेयरी संचालक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान काउंट 11 गांव किशनपुरा उत्तराधा निवासी इंद्रप्रकाश बिश्रोई (60) पुत्र बन्वर्नारीलाल के रूप में हुई है। वह परिजनों को सुबह दुकान के पीछे बने नोहरा में चारपाई पर मृत अवस्था में मिला। चारपाई व उसके नीचे खून बिखरा हुआ था। हत्यारों ने तेज धारदार हथियार से बार कर उसकी हत्या कर दी, जिसकी गुन्यी सुलझाने के लिए मौके पर एडिशनल एसपी प्यारेलाल, डीएसपी करणसिंह पुलिस जाब्ता के साथ चटनास्थल पर पहुंचे। निरीक्षण कर जरूरी निदेश दिए। एफएसएल टीम प्रभारी अंबिका सहित डॉंग स्क्वायर्ड ने पहुंचकर अहम सुगम जुटाए।

बताया कि पुलिस ने शक के आधार पर मौके से कुछ लोगों को डिटेन किया है। जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मृतक के पुत्र दीपक की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या व चोरी करने का मामला दर्ज किया है। मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम करवाकर मृतक का शव परिजनों को सौंपा दिया गया। मृतक के पुत्र दीपक कुमार बिश्रोई (38) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता बाई 11 गांव किशनपुरा उत्तराधा निवासी इंद्रप्रकाश बिश्रोई घर के सामने बने पशुओं के नोहरे में परचून की दुकान करते हैं। रात को नोहरे में पशुओं के पास रखवाली करते हुए सो जाते हैं। रोज की तरह बुधवार की रात भी खाना खाकर नोहरे में सो रहे थे। उसी दौरान करीबन दस बजे फोन पर कॉल करने सोनू बावरी ने दुकान में आने के लिए कहा। जब वह नोहरे में पहुंचा तो वहां गांव के सोनू बावरी, गगन मेघवाल व दीपू

पंवार खड़े थे। उन्होंने दूध व अन्य सामान मांगा। सौरुप का सामान दे दिया लेकिन दूध उपलब्ध नहीं होने से मना कर दिया। इस बात पर वे शराब के नशे में झगड़ने लगे। मौके पर उनको चले जाने और शराब पीकर फिर कभी दुकान में नहीं आने के लिए कहने पर वे नाराज होकर चले गए। दीपक अपनी दुकान बंद करके घर चला गया, पिता नोहरे में सो रहे थे। आरोप लगाया कि इसके बाद रात में किसी वक्त सोनू बावरी पुत्र जग्गा बावरी, गगन मेघवाल एवं दीपू पंवार तीनों नोहरे में घुस गए। कुल्हाड़ी (टोका) तथा सबल से सो रहे पिता इंद्रप्रकाश बिश्रोई के सिर व माथे पर गम्भीर चोटें मार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। जब गुरुवार सुबह करीब पांच बजे नोहरे में आया तो देखा कि पिता चारपाई पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता का पर्य व रुपए गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन शराब अनुज्ञाधारियों पर करीब 1.11 करोड़ की राशि बकाया

आबकारी विभाग ने नोटिस थमाया, समय रहते राशि जमा नहीं कराई तो संपत्ति कुर्क होगी

देवली, (निस)। यहां आबकारी विभाग ने तीन लाइसेंस धारकों को बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए, परंतु शराब अनुज्ञाधारियों ने लाखों रुपए की बकाया राशि विभाग में अब तक जमा नहीं करावाई। इसको लेकर देवली आबकारी निरीक्षक कार्यालय ने तीनों शराब अनुज्ञाधारियों को संपत्ति कुर्क करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को देवली आबकारी निरीक्षक अशोक कुमार ने जएफ प्रेस नोट यह भी बताया कि देवली गांव के अनुज्ञाधारी चंद्रपाल ठागरिया वर्तमान 30 जून 2024 तक का अनुज्ञा धारी है। चंद्रपाल की उक्त दुकान में

लाख 58 हजार 366 रुपए की राशि बकाया चल रही है। इसी प्रकार देसी मदिरा कंपोजिट दुकान देवली शहर देवली में 26 लाख 71 हजार 241 रुपए की राशि बकाया चल रही है। तो वहीं देसी मदिरा कंपोजिट दुकान देवली उपखंड चांदली ग्राम पंचायत के अनुज्ञाधारी देवराज सिंह मीणा पर 24 लाख 83 हजार 541 रुपए की राशि बकाया चल रही है। आबकारी निरीक्षक अशोक कुमार ने जएफ प्रेस नोट यह भी बताया कि देवली गांव के अनुज्ञाधारी चंद्रपाल ठागरिया वर्तमान 30 जून 2024 तक का अनुज्ञा धारी है। चंद्रपाल की उक्त दुकान में

अनिियमितता पाई जाने पर एवं मदिरा का उठाव बकाया कायम रहने के कारण उक्त अनुज्ञाधारी को मदिरा उठाव एवं बकाया जमा कराने हेतु चार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार देवली शहर दुकान संख्या 5 अनुज्ञाधारी दयाराम सिंह मीणा की भी लाइसेंस वैधता 30 जून 2024 तक की है। उक्त अनुज्ञाधारी की दुकान में नियम विरुद्ध अनियमितता पाई गई है। यहां भी मदिरा उठाव एवं बकाया कायम रहने के कारण अनुज्ञाधारी दयाराम मीणा को भी मदिरा उठाव एवं बकाया जमा करने के लिए कार्यालय से अब तक 11 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

लेकिन उक्त अनुज्ञाधारी ने विभाग में अब तक बकाया राशि जमा करवाने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। इसी प्रकार देसी मदिरा कंपोजिट उपखंड चांदली ग्राम पंचायत के अनुज्ञाधारी देवराज सिंह मीणा की दुकान में मदिरा उठाव एवं बकाया कायम की अनियमितता पाई गई एवं विभाग के लाखों रुपए की बकाया राशि जमा नहीं कराए जाने पर उक्त अनुज्ञाधारी को भी कार्यालय से बारी-बारी 11 नोटिस जारी किए गए। परंतु उक्त अनुज्ञाधारी ने भी कार्यालय की बकाया राशि जमा करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में आबकारी विभाग ने लाखों रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए तीनों

अनुज्ञाधारियों को बार-बार विभाग की राशि जमा करने के लिए नियम अनुसार अवगत कराया परंतु तीनों अनुज्ञाधारी विभाग की उक्त सूचना को नजरअंदाज करते रहे हैं। इस पर निरीक्षण अशोक कुमार ने यह भी बताया कि देसी मदिरा अनुज्ञाधारी चंद्रपाल ठागरिया, दयाराम सिंह मीणा, देवराज मीणा ने अगर समय रहते 30 जून 2024 तक लाखों की बकाया राशि कार्यालय में जमा नहीं कराई तो 30 जून 2024 के पश्चात उक्त अनुज्ञाधारियों से विभाग की बकाया राशि वसूलनी नहीं दिखाने के लिए नियम अनुसार चल अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।